जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(जन–सम्पर्क अनुभाग)

(प्रेस विज्ञप्ति)

विद्युत विपत्र जमा कराने में पांच सौ एवं एक हजार रूपये के बैंक नोट होंगे मान्य

जयपुर, 10 नवम्बर। जयपुर विद्युत वितरण निगम ने एक आदेश जारी कर विद्युत सम्बन्धी भुगतानों के लिए विद्यमान श्रृंखलाओं के पांच सौ एवं एक हजार रुपए के अंकित मूल्य के बैंक नोट 11 नवम्बर, 2016 को रात्रि 12 बजे तक लेने के निर्देश जारी किए है।

जयपुर विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री अनिल कुमार बोहरा ने बताया कि जयपुर विद्युत वितरण के सभी रोकड़ संग्रहण केन्द्रों पर प्रातः 8 बजे से ही बिलों को जमा करने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही ई–मित्र एवं डाटा इंफोसिस के काउन्टरों पर भी विद्युत संबंधी भुगतानों के लिए विद्यमान श्रृंखलाओं के पांच सौ एवं एक हजार रुपए के बैंक नोट इस अवधि में स्वीकार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

————————

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 476/2016